

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 1139/2008

संस्थित दिनांक-31.12.08

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-एण्डोरी  
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

सियाराम पुत्र रामधुन गुर्जर उम्र 44 साल  
निवासी कैथोदा थाना एण्डोरी  
जिला भिण्ड म0प्र

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

**{आज दिनांक 30.05.2018 को घोषित}**

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 457, 380 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 29.03.08 की दरम्यानी रात आवेदक के मकान ग्राम में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए चोरी करने के उद्देश्य से अवैध रूप से प्रवेशकर रात्रो प्रच्छन्न ग्रहअतिचार कारित किया तथा फरियादी रन्छोरसिंह के घर में उसके स्वामित्व व आधिपत्य के सोने, चांदी के जेवरात उसकी बिना सहमति से अवैध लाभ प्राप्त करने के आशय से चोरी से ले जाकर चोरी कारित की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 29.03.08 की रात को फरियादी रन्छोरसिंह खाना खा पीकर सो गया, सुबह 6 बजे उठा और मकान के पीछे पेशाव करने गया तो वहां दीवाल में छेद दिखाई दिया। पड़ोसियों के साथ जाकर देखा तो बक्सा टूटा पड़ा था, उसमें रखी चांदी की करधोनी, चांदी की पायजेब, चांदी के बिछिया, चांदी की जंजीर, छोटी तोड़ियां चांदी की, एक चांदी की तोड़ी, चांदी का कॉलर जिस पर सोने का पानी चढ़ा था, हाथ की दो चूड़ियां सोने की, सोने की कान की झुमकी, दो बेसर सोने के, दो सोने के बाला, दो सोने की बाली, 1100 रुपये नगद, बच्चों की गुल्लक के 200 रुपये कोई चोर रात में सेंध लगाकर बक्सा तोड़कर चुरा ले गया। सभी लोगों ने साथ में चोरो के जूतों के निशान देखते हुए ग्राम कैथोदा में अभियुक्त सियाराम, राजेन्द्र और चित्रसिंह गुर्जर के घर गए, उनसे कहा कि चोरी उन्हीं लोगों ने की तो उन्होंने चोरी किया हुआ सामान नहीं लौटाया। उक्त आशय का आवेदन दिनांक 28.09.08 को थाना एण्डोरी में प्रस्तुत करने से अप0क्र0 61/2008 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए, अभियुक्त को गिरा किया गया। अभियुक्त से पूछताछ का उसका ज्ञापन लिया गया जिसके आधार पर संपत्ति जब्त की गयी, शिनाख्त उपरांत अनुसंधान पूर्णकर अभियोगपत्र पेश किया।

3. अभियुक्त को पद क्र 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ़्त की धारा 313 के अधीन अभियुक्त द्वारा उसके निर्दोष होने एवं रजिशन झूठा फंसाये जाने का बचाव लिया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या दिनांक 29.03.08 की दरम्यानी रात आवेदक रनछोर के मकान से चोरी हुई ?
2. क्या अभियुक्त ने दिनांक 29.03.08 की दरम्यानी रात आवेदक के मकान ग्राम में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए चोरी करने के उद्देश्य से अवैध रूप से प्रवेशकर रात्रि प्रच्छन्न ग्रहअतिचार कारित किया ?
3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय तथा स्थान पर फरियादी रनछोरसिंह के घर में उसके स्वामित्व व आधिपत्य के सोने, चांदी के जेवरात उसकी बिना सहमति से अवैध लाभ प्राप्त करने के आशय से चोरी से ले जाकर चोरी कारित की ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में रनछोरसिंह बघेले अ0सा0 1, चन्द्रहाससिंह तोमर अ0सा0 2, रामबेटी अ0सा0 3, बच्चाराम अ0सा0 4, मलखानसिंह अ0सा0 5, रामअवतार अ0सा0 6, राजवीर अ0सा0 7, सतेन्द्रसिंह अ0सा0 8, एस0पी0 तिवारी अ0सा0 9 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गयी है।

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01**

6. फरियादी रनछोर अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि घटना को करीब सात साल हो गए हैं, रात के एक दो बजे का समय था। उसके मकान ग्राम बरौना की घटना हैं। अगली सुबह जब वह जागा तो उसके घर की पिछली दीवाल टूटी थी जिसमें आदमी जाने लायक जगह थी। साक्षी उसके घर से चांदी की कश्धोनी, चांदी के बिछिया, पायल, सोने के बेसर, सोने की चूड़ी, बाला तथा दो बेसर चोरी हो जाने का कथन करते हैं। साक्षी यह बताते हैं कि गांव वालों ने चोरों के नाम बताए थे, उनके नाम से थाना एण्डोरी में रिपोर्ट की थी, आवेदन प्र0पी0 1 पर अपना अंगूठा लगाना बताते हैं। बच्चाराम अ0सा0 4 अपने अभिसाक्ष्य में मामले का कोई समर्थन नहीं करता। मलखान अ0सा0 5 अवश्य कथन करता है कि फरियादी रनछोर के यहां से 8 साल पहले चोरी हुई थी। राजवीर अ0सा0 7 भी फरियादी रनछोर के घर से चोरी होना बताते हैं, किन्तु क्या क्या सामान चोरी हुआ इसके संबंध में कथन करने में अस्मर्थ हैं। उपरोक्त किसी भी साक्षी को अभियुक्त की ओर से इस तथ्य के संबंध में चुनौती नहीं दी गयी कि अभिकथित घटना दिनांक 29.03.08 को फरियादी रनछोरसिंह बघेल के मानव निवास से सोने चांदी के आभूषण चोरी नहीं हुए। यद्यपि चोरी किस व्यक्ति ने की, इस संबंध में फरियादी रनछोर अ0सा0 1 प्रतिपरीक्षण में बताने में अस्मर्थ हैं। ऐसी दशा

में यह तथ्य खण्डन के अभाव में प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 29.03.08 की रात्रि में फरियादी रनछोर के मानव निवास स्थित ग्राम बरौना से सोने चांदी के आभूषण चोरी हुए थे। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या अभियुक्त ने अभिकथित चोरी कारित की।

**विचारणी प्रश्न क्रमांक 02 व 03**

7. तथ्यों व साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। फरियादी अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथित चोरी के संबंध में किस व्यक्ति ने चोरी कारित की, कोई कथन नहीं करते इस कारण से अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए जिसमें स्वीकार किया कि वह तथा गांव के कुछ लोग जूतों के निशान देखते हुए ग्राम कैथोदा में अभियुक्त सियाराम, अन्य राजेन्द्रसिंह व चित्रसिंह गुर्जर के घर गए और उनको बुलाया। यह भी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने चोरी करना स्वीकार किया था और चोरी का सामान देने को कहा था तो नहीं दिया तब उसने रिपोर्ट की थी। साक्षी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अभियुक्त को चोरी करते हुए नहीं देखा। यह भी स्वीकार करते हैं कि प्र0पी0 1 के आवेदन में किसने लिखापढी की वह नहीं बता सकता क्योंकि वे अनपढ हैं। प्रकरण में अन्य साक्षी में भी किसी ने ऐसा कथन नहीं किया कि उन्होंने अभियुक्त को फरियादी रनछोर के घर चोरी करने के लिए प्रवेश करते, बाहर निकलते अथवा चोरी का सामान ले जाते हुए देखा हो। ऐसी दशा में चक्षुदर्शी साक्ष्य के अभाव में मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर हो जाता है।

8. एस0पी0 तिवारी अ0सा0 9 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 28.09.08 को फरियादी रनछोर द्वारा लिखित आवेदन प्र0पी0 1 प्रस्तुत किया था जिस पर से उन्होंने अप0क0 61/08 प्रपी0 8 के रूप में पंजीबद्ध किया था जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् नक्शामौका बनाया और साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए थे। इस प्रकार फरियादी द्वारा प्रपी0 1 का आवेदन प्रस्तुत किए जाने का तथ्य का अनुसमर्थन एस0पी0 तिवारी अ0सा0 9 द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में करना बताया है। अनुसंधानकर्ता रामौतार अ0सा0 6 यह कथन करते हैं कि उन्हें उक्त अपराध की केस डायरी अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी जिसके दौरान उन्होंने अभियुक्त सियाराम को दिनांक 29.10.08 को फार्मल गिरफ्तार कर गिर0 पंचनामा प्रपी0 8 बनाया था जिस पर उनके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं। पुलिस अभिरक्षा में दिनांक 17.12.08 को अभियुक्त से पूछताछ करने पर मेमोरेण्डम प्र0पी0 4 बनाया जिस पर भी बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। साक्षी यह भी कथन करते हैं कि उन्होंने उक्त मेमोरेण्डम चन्द्रहास व सतेन्द्रसिंह के समक्ष लिया था और उसी दिनांक को उन्हीं साक्षियों के समक्ष अभियुक्त के आधिपत्य से सामान जब्तकर जब्ती पत्रक प्र0पी0 5 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं।

9. प्रकरण में चन्द्रहास तोमर अ0सा0 2 अभियुक्त को पहचानने से इंकार करते हैं और पक्षविरोधी हो गए हैं। यद्यपि प्र0पी0 4 व 5 पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर अवश्य स्वीकार करते हैं। साक्षी सतेन्द्र अ0सा0 8 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि वह अभियुक्त को जानते हैं और उसके समक्ष अभियुक्त से पूछताछ में उसने फरियादी रनछोर बघेल के घर चोरी का तथ्य स्वीकार किया था। उक्त चोरी के जेवर को पोटली में बांधकर अपने घर रखे होने और चलकर बरामद करा देने की जानकारी प्राप्त होना बताते हैं। धारा 27 के ज्ञापन एवं जब्ती पत्रक क्रमशः प्र0पी0 4 व 5 पर अपने हस्ताक्षर बी से बी भाग पर होना बताते हैं। इस प्रकार से अनुसंधानकर्ता राम अवतार अ0सा0 4 के कथनों की संपुष्टि जब्ती साक्षी सतेन्द्र अ0सा0 8 ने की है। यद्यपि फरियादी के घर से अभियुक्त द्वारा चोरी किए जाने का तथ्य धारा 27 साक्ष्य विधान के अधीन स्वीकृति की कोटि में होने से ग्राह्य व प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, किन्तु उससे पता चली जानकारी कि जेवर अपने घर में पोटली में रख दिए हैं और तत्पश्चात् उक्त जेवरों की जब्ती का तथ्य अवश्य ही धारा 27 साक्ष्य विधान के अधीन संपुष्टिकारी है।

10. चन्द्रहास सिंह अ0सा0 2 यद्यपि पक्षविरोधी हो गए हैं, किन्तु उनके द्वारा भी प्र0पी0 4 व 5 पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है। अनुसंधानकर्ता को अभिकथित जब्ती के संबंध में कोई भी ऐसा तथ्य प्रतिपरीक्षण में उद्घृत नहीं किया है जो कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के आधार पर अभिकथित चोरी हुए सामान की जब्ती के तथ्य को संदिग्ध बना देता हो। सतेन्द्रसिंह अ0सा0 8 के संबंध में अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया है कि उसने थाना एण्डोरी में आना जाना होना स्वीकार किया है ऐसे में साक्षी विश्वसनीय नहीं हैं। किसी व्यक्ति के थाने में अक्सर आने जाने के आधार पर उसकी साक्ष्य संदिग्ध नहीं हो जाती है, जबकि संदेहपूर्ण परिस्थिति अभिलेख पर प्रस्तुत न हो। दण्डिक विधि में पुलिस साक्षी की अभिसाक्ष्य को भी साधारण साक्षी की भांति ही विश्लेषित किए जाने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में न्यायालय का ध्यान न्यायनिर्णय— राजाखिरना विरुद्ध स्वराष्ट्र राज्य ए आई आर 1954 एस सी पेज 217 में अभिनिर्धारित किया है कि सामान्य न्यायालय यही उपधारणा करेगी कि पुलिस द्वारा जो कार्य किया गया है वह सही रूप से किया गया है। पुलिस अधिकारी के द्वारा किये गये कार्य को अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। न्यायदृष्टांत— मदन सिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य ए आई आर 1978 एस सी 1511, अनिल एलेसिस अन्दाया सदाशिव नन्दोस्कर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य एआई आर 1996 एस सी 2943 तथा ताहिर बनाम स्टेट आफ दिल्ली ए आई आर 1996 एस सी 3079 में यह सिद्धांत परिपादित किया कि मात्र पुलिस अधिकारी होने के कारण उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है यह साबित होना चाहिए कि क्यो झूठा मामला बनाया जाएगा यदि पुलिस अधिकारी के कथनो का समर्थन स्वतंत्र गवाहो ने किया तो फिर भी पुलिस अधिकारी का कथन यदि विश्वसनीय है तो ऐसी स्थिति मे उसके आधार पर भी सजा दी जा सकती है।” हाल ही में मान0 म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत घनश्याम



लक्ष्मीनारायण पाटीदार व अन्य विरुद्ध म०प्र० राज्य 2016 किमनल लॉ जनरल 4937 में प्रतिपादित सिद्धांत उल्लेखनीय है। उक्त मामले में मान० उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत यह है कि पुलिस अधिकारी की अभिसाक्ष्य पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है, जबकि न्यायालय का यह मत हो कि साक्षी सत्यवादी एवं विश्वसनीय है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा मान० सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत लूपचंद नारुजी जाट व अन्य विरुद्ध गुजरात राज्य (2004) 7 एस०सी०सी० 566, अब्दुल मजीद अब्दुल हक अंसारी विरुद्ध गुजरात राज्य (2003) 10 एस०सी०सी० 198 तथा पी०पी० वीरन विरुद्ध केरल राज्य (2001) 9 एस०सी०सी० 57 पर आस्था व्यक्त की है। ऐसी दशा में अनुसंधानकर्ता राम अवतार अ०सा० 6 एवं सतेन्द्र अ०सा० 8 की अभिसाक्ष्य विश्वसनीय पाई जाती है।

11. फरियादी रनछोर अ०सा० 1 प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति उसे सरपंच बरौना के माध्यम से प्राप्त होने का कथन करते हैं। शिनाख्ती मेमो प्र०पी० 3 पर अंगूठा लगाए जाने का कथन करते हैं। प्र०पी० 3 के शिनाख्ती मेमो को ग्राम पंचायत बरौना की सरपंच द्वारा निष्पादित किया गया है। इस प्रकार से यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति फरियादी की संपत्ति थी। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सुसंगत श्रंखला से भलीभांति यह तथ्य प्रमाणित हो रहा है कि फरियादी रनछोर के मानव निवास से दिनांक 29.03.08 को दीवाल तोड़कर सोने चांदी के जेवर की चोरी कारित हुई, उक्त जेवर अभियुक्त के आधिपत्य से जब्त किए गए तथा फरियादी द्वारा जेवर उसके होने की पुष्टि की गयी तथा न्यायालय से भी प्रकरण में फरियादी ने संपत्ति सुपुर्दगी पर प्राप्त किए जाने हेतु दावा किया जिस पर अभियुक्त द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गयी। इस प्रकार से प्रकरण में अभियुक्त द्वारा फरियादी के मानव निवास में रात्रौ ग्रहभेदन कारित कर चोरी का अपराध कारित करने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हो जाता है। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 457, 380 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है।

12. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उसे अभिरक्षा में लिया गया।

13. अभियुक्त का कृत्य फरियादी के मानव निवास में चोरी करने के आशय से प्रवेशकर रात्रौ ग्रहभेदन व मानव निवास से चोरी का गंभीर अपराध है। उसकी परिपक्व आयु को देखते हुए उसे परीवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उसके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

**पुनश्च:**

14. अभियुक्त एवं उनके विद्ववान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्त के मजदूर होने के आधार पर एवं दस वर्ष पुराना प्रकरण होने के आधार पर कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

15. अभियुक्त यद्यपि अभियोजन दस्तावेजों के अनुसार ग्रामीण परिवेश का होने का तथ्य अभिलेख पर है, किन्तु उनके द्वारा रात्रौ ग्रहभेदन कारित कर चोरी का गंभीर अपराध कारित किए जाने के संबंध में तथ्य प्रमाणित पाए गए हैं। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 457 के अधीन एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये तथा धारा 380 के अधीन एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये कुल एक हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्ति की दशा में अभियुक्त को **एक-एक माह** का प्रथक प्रथक सश्रम कारावास भुगताया जावे। यह स्पष्ट किया जाता है कि अभियुक्त की दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी।

16. प्रकरण में जब्तशुदा आभूषण पूर्व से फरियादी रनछोर की सुपुर्दगी पर है। अतः अपील अवधि पश्चात् सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

17. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि के संबंध में दफ्तर की धारा 428 का प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जावे। अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि यदि कोई रही हो तो वह दी गयी सजा में समायोजित की जावे।

18. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश